

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

122 / 2025

इन्द्रजीत सिंह निवासी प्लाट नम्बर 12, लाजवन्ती भवन सिविल लाईन टोंक जिला-
टोंक

--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी
अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 06.01.2026


प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 31.10.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

अति ही संवेदनशील प्रकरण दिनांक 21.08.2025 को रिसीव पर की गई कार्यवाही की जानकारी देना मेहरवानी कर नियमानुसार सुनिश्चित करे। प्रकरण की प्रति भी सेवा में संलग्न है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 2464 दिनांक 23.12.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 24 दिनांक 05.01.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 1039 दिनांक 04.11.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विकास शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 857-858 दिनांक 12.12.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र क्रमांक 856 दिनांक 12.12.2025 से अपीलान्त को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।




(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपीलेट अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक